वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110 001

सा०/No. : 5-1(17)/2008-PD

दिनांक/Dated: 25.03.2019

प्रेषक / From :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. **Sl. No.**	**कार्यालय ज्ञापन सं/ .** **Office Memorandum No.**	**विषय/** **Subject**
1.	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 05.03.2019 का कार्यालय ज्ञापन सं० 2/5/2017-E.IIB Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 2/5/2017-E.IIB dated 05.03.2019	मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों में छूट के संबंध में। Dispensation of conditions of applying for Government Accommodation and furnishing of 'No Accommodation Certificate' for admissibility of House Rent Allowance.

भवदीय/Yours faithfully

25/03/19

(संतोष कुमार/ Santosh Kumar)
अनु॰ अधि॰ (नीति प्रभाग)/ SO(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

No. 2/5/2017-E.IIB
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated: 5th March, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dispensation of conditions of applying for Government Accommodation and furnishing of 'No Accommodation Certificate' for admissibility of House Rent Allowance.

Several references are being received in this Department to review the condition of applying for Government Accommodation and furnishing of 'No Accommodation Certificate' for admissibility of House Rent Allowance as contained in Para 4(a) of this Department's O.M. No. 2(37)-E.II(B)/64 dated 27.11.1965 read with Para 1(1) of O.M. No.11011/1/E.II(B)/75 dated 25.02.1977.

2. The matter has been examined in this Department and in supersession of Para 4(a) of this Department's O.M. No. 2(37)-E.II(B)/64 dated 27.11.1965 read with Para 1(1) of O.M. No.11011/1/E.II(B)/75 dated 25.02.1977 and to simplify the procedure relating to grant of House Rent Allowance to Central Government employees, the President, in consultation with Ministry of Housing and Urban Affairs and the Staff Side of the National Council (J.C.M.), is pleased to decide that the conditions of applying for Government Accommodation and furnishing of 'No Accommodation Certificate' by Central Government employees to become eligible for House Rent Allowance, are dispensed with for all places, in respect of General Pool Residential Accommodation(GPRA) controlled by Directorate of Estates.

3. Ministries/Departments having their separate pool of residential accommodation for their employees other than GPRA, may adopt these provisions, wherever feasible.

4. These orders shall be effective from the date of issue of the orders.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Hindi version is attached.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

To,

All Ministries and Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to C&AG and UPSC etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

सं.2/5/2017-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

5 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों में छूट।

इस विभाग के दिनांक 25.02.1977 के का.ज्ञा.सं. 11011/1/ई.II(बी)/75 के पैरा 1(1) के साथ पठित दिनांक 27.11.1965 के का.ज्ञा.सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 के पैरा 4(क) में यथा निहित मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों की समीक्षा के लिए इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

2. इस मामले पर विभाग में विचार किया गया है और इस विभाग के दिनांक 25.02.1977 के का.ज्ञा.सं. 11011/1/ई.II(बी)/75 के पैरा 1(1) के साथ पठित दिनांक 27.11.1965 के का.ज्ञा.सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 के पैरा 4(क) का अधिक्रमण करते हुए और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ पक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि संपदा निदेशालय द्वारा नियंत्रित सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का पात्र बनने के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों में सभी स्थानों के लिए छूट दी जाती है।

3. ऐसे मंत्रालय/विभाग, जिनके पास अपने कर्मचारियों के लिए जीपीआरए के अलावा पृथक आवास पूल हैं, जहां भी संभव हो, इन प्रावधानों को अपना सकते हैं।

4. ये आदेश इनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।